छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा दशम् सत्र अंक-2

नवा रायपुर अटल नगर, मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 23, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

## 1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 75 तारांकित एवं 94 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

## 2. बहिर्गमन

प्रदेश में घटित औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-04 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25), तथा

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(i) दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-02 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल).

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-03 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल).

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-04 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) तथा

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-05 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल),

**पटल पर रखे ।**

## 4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज दिनांक 14 जुलाई, 2026 को दोपहर 1.30 बजे विधान सभा परिसर में वन विभाग की ओर से **"एक पेड़ "मां" के नाम"** अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कष्ट करें।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात् माननीय श्री केदार कश्यप, वन मंत्री जी की ओर से भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

## 5. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने खरीफ वर्ष 2026 के धान की खेती में प्रदेश के किसानों को कई प्रकार की समस्या होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की । श्री उमेश

पटेल, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री ब्यास कश्यप, श्री विक्रम मंडावी, श्री दलेश्वर साहू, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में पेण्ड्रा बायपास एवं श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में औद्योगिक दुर्घटनाओं की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया)

## 6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इंद्रशाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात करेंगे ।

## 7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संवर्धन में लापरवाही किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

## 8. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

मानननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत् निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

## 9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना पर वक्तव्य दिया।

**(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)**

(2) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य ने जिला चिकित्सालय जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रम 7 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

## 10. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार अनुसार निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं ।

(1) श्री रोहित साहू
(2) श्री अजय चन्द्राकर
(3) श्री मोतीलाल साहू
(4) डॉ.चरणदास महंत
(5) श्री कवासी लखमा

## 11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अमर अग्रवाल (सभापति,सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति) ने समिति का छियालिसवां, सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां, इक्यावनवां, बावनवां, तिरपनवां एवं चौवनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## 12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री सुशांत शुक्ला
2. श्री रोहित साहू
3. श्रीमती भावना बोहरा

## 13. मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उनके मंत्रि-परिषद् के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

(माननीय अध्यक्ष द्वारा नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े होने पर इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये अनुमति प्रदान की गई एवं इस पर चर्चा के लिए शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई, 2026 को प्रश्नकाल तथा अन्य कार्य संपन्न होने के पश्चात् से सायं 5.30 बजे तक का समय निर्धारित किया।)

## 14. अशासकीय कार्य के संबंध में सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि पूर्व में निर्धारित दिनदर्शिका अनुसार शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026 को अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित किये गये थे। चूंकि अब शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026 को मंत्रि-परिषद् के विरूद्ध

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अतः शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026 को लिया जाने वाला अशासकीय कार्य गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026 को लिया जायेगा।

## 15. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि उन्होंने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्न विधेयकों को पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9, सन् 2026)

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10, सन् 2026)

(3) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11, सन् 2026)

(4) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12, सन् 2026)

### (1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026)

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9, सन् 2026) पुर:स्थापित किया।

### (2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10, सन् 2026)

श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10, सन् 2026) पुर:स्थापित किया।

### (3) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11, सन् 2026)

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11, सन् 2026) पुर:स्थापित किया।

मंगलवार, 14 जुलाई, 2026

**(4) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12, सन् 2026)**

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12, सन् 2026) पुर:स्थापित किया।

**(1.43 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)**

**(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)**

## 16. शासकीय संकल्प

श्री ओ. पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत किया :- "यह सदन भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में संशोधन हेतु लाये गये जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2024 (संख्यांक 5 सन् 2024) को अंगीकृत करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) की परिधि के अंतर्गत आता है।" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य अनुपस्थित रहे।)

निम्नलिखत सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सुशांत शुक्ला, ललित चन्द्राकर, आशाराम नेताम, रोहित साहू, सम्पत अग्रवाल।

संकल्प पर मत लिया गया।

**संकल्प स्वीकृत हुआ।**

## 17. प्रस्ताव

**"छत्तीसगढ़ राज्य ने विगत् दशकों में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना किया, जिसमें अनेक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। केन्द्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हमारी सरकार ने इस चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर नक्सलवाद की समस्या का अंत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केन्द्र ने सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र बल, रणनीतिक सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए तथा नक्सल प्रभावित**

**क्षेत्रों में विकास कार्यों को अभूतपूर्व समर्थन दिया। राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और केन्द्र की सुरक्षा एवं विकास नीति के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अतः यह सदन केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के लिए हार्दिक् आभार व्यक्त करता है।"**

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- "छत्तीसगढ़ राज्य ने विगत् दशकों में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना किया, जिसमें अनेक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। केन्द्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हमारी सरकार ने इस चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर नक्सलवाद की समस्या का अंत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केन्द्र ने सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र बल, रणनीतिक सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को अभूतपूर्व समर्थन दिया। राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और केन्द्र की सुरक्षा एवं विकास नीति के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अतः यह सदन केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के लिए हार्दिक् आभार व्यक्त करता है।"

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।**

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य अनुपस्थित रहे।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर,

**(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)**

श्री किरण देव,

**(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)**

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम)

**(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)**

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

## 18. प्रस्ताव (क्रमश:)

सुश्री लता उसेण्डी,

(माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि प्रस्तुत प्रस्ताव की महत्ता एवं वक्ताओं की भावना को देखते हुए आज भाषण में समय की बाध्यता समाप्त की जाती है।)

सर्वश्री विक्रम उसेण्डी, चैतराम अटामी, नीलकंठ टेकाम, आशाराम नेताम,

**(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप)

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)**

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

## 19.अध्यक्षीय उदगार

आज का यह ऐतिहासिक अवसर इस विधान सभा और इस विधान सभा में की गयी चर्चा वर्षों नहीं, कई पीढ़ी याद रखेगी। मैं आज यह कहना चाह रहा हूँ। एक बड़े युद्ध की समाप्ति, शांति और विकास की यात्रा तथा एक संकल्प, जो इस सरकार ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी ने जिस पर दिशा दी। आज अपनी बात रखते-रखते, बहुत सारे सदस्यों की आंखें नम हो गयीं। मैं वह पीड़ा समझता हूँ उनकी आंखों में आंसू थे, कुछ ने अपने परिजन खोये हैं, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपने गांव की बस्तियों में लोगों को जलते हुए देखा है और मैं डॉ. रमन सिंह चश्मदीद गवाह हूँ, मुझे 500 से ज्यादा पुलिस के जवानों, आम आदमी को अंतिम विदाई देने का अवसर मिला, इसको मैं अपने जीवन का वह अवसर मानता हूँ जब 65-65, 70-70 लोगों को विदाई देने का अवसर मिला, सलवा जुडूम के गांव-गांव जला दिये गये। पूरे के पूरे स्टेडियम में बिलखते हुए, महिलाओं को रोते हुए देखा। मैंने उन 15 सालों में उस पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा। इसलिए मुझे आज आपसे ज्यादा प्रसन्नता हो रही है और आपके जो आंसू निकले हैं, यह आपके संघर्ष और पीड़ा के हैं, क्योंकि आपने उसको बहुत नजदीक से देखा है। वह 15 साल जो सरकार के रहे, उसमें कुछ माईल स्टोन थे मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा क्योंकि यहां इतनी कुछ बातें आ गयीं तो मुझे भी यह लगा कि मैं यहां पर दो-तीन विषयों को बोल दूं कि पुलिस के एक लाख जवानों की भर्ती,

जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना, सलवा जुडूम का प्रारंभ होना, डी.आर.जी. की स्थापना हुई, कृषि मंत्री जी डी.आर.जी. के बारे में बता रहे थे कि यह कौन सा फोर्स है, कैसे सुप्रीम कोर्ट से लड़कर, सुप्रीम कोर्ट का वह चीफ जस्टिस जिसने फैसला दिया, बाद में कांग्रेस के राष्ट्रपति का प्रत्याशी हुआ। उसने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। आज यहां इस बात की चर्चा हो रही थी। उस समय थाने लूटे गये, 01, 02, 10, 12, नहीं 15, छुरिया से शुरू करके कितने थाने लूटे गये। इन सारी योजनाओं में मैं यही देखता हूं कि मैं बहुत संक्षिप्त में बस्तर के उस दिन को इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि बस्तर में, अबूझमाड़ में बिजली के टॉवर गिरा दिये गये। बस्तर के लोग गवाह हैं, उस समय तीन दिनों तक पूरे बस्तर में अंधेरा था। इसको छत्तीसगढ़ नहीं जानता है, इसे बस्तर के लोग ही जानते हैं। वहां तीन दिनों तक ब्लैक आउट था, उसका कारण यह था कि अबूझमाड़ के खम्भे गिरा दिये गये। मैंने जीवन में पहली बार इन्द्रावती क्रॉस करके, अबूझमाड़ में प्रवेश किया और मैंने उस खम्भे को जाकर देखा, जहां पर उसे गिराया गया था। वहां हमारे 100 मजदूर काम कर रहे थे। मेरा अनुभव इसलिए है क्योंकि मुझे अबूझमाड़ जाने का अवसर मिला और हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के मजदूर थे, उनके साथ मैं बारिश में दो घण्टे खड़े रहा, उन्होंने उस पूरे खम्भे को उस नक्सल के खतरे को झेलते हुए, ठीक किया। यानी यह पीड़ा बस्तर ने झेली है। छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों ने नहीं झेला है। वहां 3 दिनों तक मोमबत्ती के सहारे रहे। उसके बाद हमने उपाय किया कि 132 के.व्ही, 220 के.व्ही. और 440 के.व्ही. इन तीनों की एक साथ लाईन दी और मैंने उसी दिन यह कह दिया था कि अब कभी बस्तर में नक्सल अंधेरा नहीं कर सकता है, यह चुनौती थी। वह घटना मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे वहां तक जाने का अवसर मिला। अभी बार-बार केदार जी बोल रहे थे कि मैं बस्तर में एक बात दोहराता था। मैं आज भी दोहरा देता हूँ कि वहां खुशहाली बरसेगी, वहां ढोल और मांदर की धुन में थपकते हुए वनवासी रहेंगे। कुछ बड़े कदम थे जो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। उस समय हमारे पास जितनी बेस्ट टीम थी, आईएएस लड़के थे, आईपीएस लड़के थे, सबसे जो श्रेष्ठ टीम थी, उसको हमने बस्तर में भेजने का काम किया । परिवर्तन कहां से आता है और उसका गवाह पीछे बैठा है-ओ.पी. चौधरी, वह भी एक है । जब यह मेरे पास आया तो मैंने कहा कि तू छत्तीसगढ़िया है, तू छत्तीसगढ़ का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ले ले तो इसने पहले कहा कि मैं दंतेवाड़ा जाऊंगा तो मुझे लगा कि यह लड़का सिरफिरा है और यह सिरफिरा था इसलिए ये दंतेवाड़ा गया और वहां परिवर्तन में इसकी भी भूमिका रही और निश्चित रूप से वहां पर जो एजुकेशन सिटी बनायी । इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में सब में काम करने वाले आज सचिव के स्तर में बैठे हुए हैं । उनसे मैं पूछता हूं कि कैसा लग रहा

है? वे बताते हैं कि साहब, जो उस समय हमने संघर्ष किया, जो भी अधिकारी वहां थे, जिनको भेजा गया था, आज वे उस दिन को याद करते हैं कि किस डर से, किस भय से ये काम करते थे और वह **बस्तर सुलगता हुआ बस्तर, झुलसता हुआ बस्तर वर्षों से आग में तपता हुआ बस्तर और बिखरता, बिलखते हुए बस्तर** में खुशहाली लौटाने का काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और विजय शर्मा जी ने जिस मेहनत के साथ काम किया, हमारे पुलिस के जवानों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा । बस्तर में जिसकी पोस्टिंग होती थी, उस लड़के की शादी नहीं होती थी । जो हमारा अधिकारी बस्तर चला जाता था, उसको कोई लड़की नहीं देता था, मैं गवाह हूं, ये सब गवाह हैं। उनकी शादी नहीं होती थी, बस्तर पोस्टिंग है। वापस बुला लो, मगर वे लड़ने के लिए तैयार हुए और कहा कि शादी बाद में हो जाएगी, मौत हो जाये तो हो जाए, मगर हिम्मत के साथ लड़ने वाली उस पूरी फौज को आज मैं सेल्यूट करने के लिए खड़ा हूं। उनके हिम्मत, उनके हौसले को जिनकी वजह से बस्तर में इतनी बड़ी लड़ाई, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई, मैं फिर बार-बार दोहराकर एक शब्द को बोलता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई छत्तीसगढ़ ने जीतकर दिखाया है। इसीलिए बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बस्तरिया सबले बढ़िया। बस्तर जीतना चाहता था, सरगुजा जीतना चाहता था इसलिए यह लड़ाई हमने जीती है। उनके अंदर की ताकत थी इसलिए हमने लड़ाई जीती है। पुलिस के जवान पीछे खड़े थे, आगे ये खड़े थे। ऐसा अवसर जीवन में कभी नहीं आता। मैं अध्यक्ष के नाते मुझे ज्यादा बोलना नहीं था, मगर मुझे यह लगा कि बहुत सारे लोगों ने इतनी अच्छी बातें की तो मैंने कहा कि मैं अपना दो लाईन बोल दूं। आज यह अवसर हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और इस अवसर में मैं अध्यक्ष की हैसियत की प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**रात्रि 9.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 24, शक संवत् 1948) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

**दिनेश शर्मा**
**सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधान सभा**